2025/49

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2025 (बांसवाड़ा डिक्री)

स्वर्गीय मोगा पिता स्वर्गीय केला के वारिसान :–

दिनेश पिता स्व. मोगा, जाति भील, निवासी गांव केसरपुरा, तहसील गढी, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाडा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. नानु पिता स्व. लोजा, जाति भील, निवासी गांव केसरपुरा, तहसील गढी हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाडा (राज.)
2. कानु पिता स्व. रंगजी, जाति भील, निवासी गांव चौरडी (मलेर) तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाडा (राज.)
3. मृतक गला पिता स्व. रंगजी, जाति भील, निवासी गांव चौरडी (मलेर) तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाडा (राज.) के वारिसान :–

3/1. श्रीमती हुरी पत्नी स्व. गला जाति भील, निवासी गांव चौरडी (मलेर) तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाडा (राज.)

4. मृतक भूरा पिता स्व. लोजा, जाति भील, निवासी गांव केसरपुरा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.) के वारिसान :–

4/1. श्रीमती रतन पत्नी स्व. भूरा, जाति भील, निवासी गांव केसरपुरा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.) की मृत्यु वाद के निर्णय एव दौराने वाद 10–12 वर्ष पूर्व हो चुकी है।

4/2. शांतिलाल पिता स्व. भूरा, जाति भील, निवासी गांव केसरपुरा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.)

4/3. सुरजमल पिता स्व. भूरा जाति भील, निवासी गांव केसरपुरा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.) की मृत्यु वाद के निर्णय एवं दौराने वाद 07 वर्ष पूर्व हो चुकी है।

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गढी हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाडा (राज.)
6. मृतक वाला पिता कचरु, जाति भील, निवासी गांव केसरपुरा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.) के वारिसान :–

6/1. विरजी पिता स्व. वाला, जाति भील, निवासी गांव केसरपुरा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:41 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

6/2. सुखलाल पिता स्व. वाला, जाति भील, निवासी गांव केसरपुरा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.)

6/3. श्रीमती रिशम पत्नी स्व. वाला, जाति भील, निवासी गांव केसरपुरा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.) की मृत्यु वाद के निर्णय एवं दौराने वाद 03 वर्ष पूर्व हो चुकी है।

..............रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
गढी दि० 20.08.2024 प्र.सं. 09/08

—::—

उपस्थित :– 1. श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रे.सं. 1

—::—

निर्णय **दिनांक 28.01.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण नम्बर एक से लगायत चार तक मूल पुरुष केला पिता हेमता भील निवासी केशरपुरा तेहसील गढी जिला बांसवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि वर्तमान नया खाता नम्बर 105 पुराना खाता नम्बर 102 के खसरा नम्बर 475, 644, 651, 662, 663, 669 673, 674, 675, 676, 677, 679, 720, 721, 734, 735 कुल किता 16 रकबा 2.21 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी नम्बर 356, 402 से 408, 411, 412, 419, 420, 666, 669, 670, 674, 675 कुल खेत 17 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा थे, जिसके मूल खातेदार व स्वामी वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज केला पिता हेमता भील थे। केला के चार पुत्र रूपा, रंगजी, मोगा व वादी के पिता लोजा हुए। केला के जीवनकाल में करीब 40–50 वर्ष पूर्व [illegible] रंगजी गांव छोड़कर अन्य गांव चौरडी त[illegible] पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है, जि[illegible]कब्जा नही रहा। वादी का एक भाई प्रतिवादी संख्या 4 है तथा एक [illegible]कानजी था,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:41 IST
Reason: SelfAttested

जो 8 वर्ष से लापता है। इस तरह उक्त कृषि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा बनता है। केला का अन्य पुत्र रूपा लाऔलाद फोत हो चुका है। मूल पुरुष केला के देहात के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व स्व. रुपा ने अपने आपको उनका पुत्र होना बतलाकर विरासत नामांतरण नम्बर 64 दिनांक 22.12.1970 को वादी व उसके पिता की जानकारी के बिना मिल मिलाकर करवा लिया और रूपा के देहान्त के बाद प्रतिवादी संख्या 1 उक्त पुरा पैत्रक कृषि खाता उसके अकेले के नाम से दर्ज करवा लिया जो वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम से विधि विरूद्ध दर्ज है और वादी खातेदारी घोषणा व विभाजन का कानूनन हकदार होने से यह वाद पत्र पेश किया है। वादी का पूर्वज के समय से उक्त कुल कृषि भूमि पर मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के साथ कब्जा काश्त मौजूद है और वादी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वादी जून 2008 मे जब खेत तैयार कर रहा था तब प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से झगडा किया व कहा कि पूरा खाता हमारा हो गया है तुम मत कमाओ, जिस पर वादी ने दिनांक 30.06.2008 को गांव ईकट्ठा किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का नाम तहसील में चल कर दर्ज करवाने की सहमति दी, परंतु दिनांक 02.07.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 बदल गया जिस पर वादी ने उक्त पैत्रक कृषि भूमि के समस्त रेवेन्यू अभिलेख व नामांतरण की प्रमाणित नकले प्राप्त की तो वादी को पता चला कि उसका नाम खाते में दर्ज नहीं है व प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उसके नाम से पैत्रक खाता दर्ज करवा लिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व स्व. रूपा के हक में जो भी इन्द्राज हुए है वह गैरकानूनी होकर निरस्तनीय है। यदि वादी को उक्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित नहीं किया और वादी का हक, हित, हिस्सा वादी के नाम से पृथक बंटवारे से खाता दर्ज नहीं किया तो वादी को असहाय हानि होगी जिसका रुपयों में आंकलन नहीं हो सकेगा और वादी को एक से अनेक कार्यवाहियां करनी पडेगी। [illegible] वाद स्वीकार फरमाया जाकर मूल खसरा [illegible] 356, 402, [illegible] 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 419, 420, 666, 669, 670, 674,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:41 IST
Reason: SelfAttested

उप-प्रशासन अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

एवं खसरा नम्बर 675 कुल खेत 17 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 475, 644, 651, 662, 663, 666, 673, 674, 676, 677, 679, 720, 721, 734 व 735 कुल क्षेत्रफल 2.21 हैक्टेयर में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 साथ खातेदार कृषक घोषित किया जाये और वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 भाग में से वादी का 1/4 भाग का पृथक खाता बटवारें से दर्ज किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 20.08.2024 को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील दिनांक 28.02.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि दौराने वाद अपीलान्ट के पिता मोगा की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात् अपीलान्ट दिनेश को वारिस नियुक्त किया गया, जिसकी कोई सूचना उनके अभिभाषक द्वारा अपीलान्ट को नहीं दी गई। अपीलान्ट को दिनांक 30.12.2024 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील समयावधि में स्वीकार फरमायी जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टगण ने [illegible] की पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि [illegible] निर्णय व डिक्री जारी होने के 3 वर्ष [illegible] रतन की मृत्यु 12–13 वर्ष पूर्व तथा प्रतिवादी संख्या 4/3 सूरजमल [illegible] मृत्यु 7–8

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:41 IST
Reason: SelfAttested

वर्ष पूर्व हो चूकी थी, जिसकी जानकारी वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को होने के बावजूद उनकी नामकायमी नहीं करवायी गई, जिससे उक्त डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत् तामील कराये बिना ही वादी के एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 व 6 की तलबी नियमानुसार नहीं करवायी गई तथा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तलबी नहीं होने के बावजूद भी निर्णय पारित किया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। केला ने अपने जीवनकाल में ही अपने चारों पुत्रों को भूमि देकर खाते अलग–अलग करा दिये थे। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता लोजा का नया खाता संख्या 179 पुराना खाता संख्या 142 रकबा 0.8800 हैक्टेयर भूमि ग्राम केसरपुरा में दर्ज रिकॉर्ड है, जो लोजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र वादी नानु व उसके भाई भूरा के नाम दर्ज हुई है। विवादित आराजियात में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नहीं है न ही उनका कब्जा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

7. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। फिर भी अपीलान्ट की ओर कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श ए1 नामान्तरण संख्या 64 दिनांक 22.12.1970 केला के बजाय रूपा, रामजी मोगा पिता केला के नाम स्वीकृत हुआ है, जबकि ज[illegible] 2030 प्रदर्श ए2 में विवादित साबिक आराजी [illegible] 411, 412, 419, 420, 666, 669, 670, [illegible] रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा भूमि रूपा, मोगा पिता केला के नाम हिस्सा[illegible]बर से दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:41 IST
Reason: SelfAttested

है। रूपा लाऔलाद फोत होने से उक्त साबिक आराजी नम्बरों से बने हाल आराजी नम्बर 475, 644, 651, 662, 663, 666, 673, 674, 676, 677, 679, 720, 721, 734 व 735 कुल क्षेत्रफल 2.21 हैक्टेयर भूमि प्रदर्श ए3 जमाबंदी संवत् 2062 अनुसार मोगा के नाम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे अनुसार रूपा व मोगा के अलावा रगजी व लोजा भी केला के पुत्र होकर प्रत्येक पुत्र का 1/4, 1/4 हिस्सा बनता है। रूपा लाऔलाद फोत होने से केला के शेष तीन पुत्र रंगजी, मोगा व लोजा प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है, जबकि राजस्व अभिलेखों मे भूमि अकेले मोगा के नाम दर्ज हो जाने से वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर अपने हिस्से की दाद चाही गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी का वाद स्वीकार कर विवादित भूमि का सहखातेदार घोषित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नही समझते हैं।

जहां तक अपीलान्ट का यह कथन की अपीलान्ट को नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड की सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही दी गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड का सूचना पत्र दिनांक 15.10.2019 को जारी किया गया है, जिसे अपीलान्ट के भतीजे धनपाल द्वारा प्राप्त किया गया है। तदनुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनाक 20–08–2024 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28–01–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. मुकाम उदयपुर
व इजलास कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

मृतक मोगा के बजाय दिनेश पिता स्व. मोगा, जाति भील, निवासी केसरपुरा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा बनाम नानू पिता स्व. लोजा, जाति भील, नि. केसरपुरा, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील न. 03/2025 व नाराजगी डिगरी अदालत उपखण्ड अधिकारी गढ़ी मुकाम मुवर्खे 20 माह 08 2024

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 28 माह 01 सन् 2026 रूबरू पक्षकारान व हाजरी श्री यशपाल गुप्ता मिनजानिब अपीलान्ट व श्री जयेन्द्र पुरोहित

रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–08–2024 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग X) रूपये X अदा करे, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें ।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 28 माह 01 2026 को जारी किया गया ।

28.1.26.

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ...			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट – इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:41 IST
Reason: SelfAttested